

मैसर्स आई. सी. पी. ए. हैल्थ प्रोडक्ट्स (पी) लिमिटेड

बनाम

कमिश्नर ऑफ सेंट्रल एक्साईज, वडोदरा

अप्रैल 20,2004

[एस. एन. वरियावा और एच. के. सेमा, न्यायाधिपतिगण]

केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985; शुल्क वस्तु संख्या 38.08 और 3003.10; नोट 2 (1) से अध्याय 30 और नोट 1 (सी) से अध्याय 38; अधिसूचना संख्या 28/88 सी. ई. दिनांक 1 मार्च, 1988:

वर्गीकरण- के सिद्धांत - शुल्क वस्तु 38.08 और 3003.10 - हैक्सिप्रेप, हैक्सिसक्रब (सर्गिसक्रब) और हैक्सलोक - राजस्व ने उत्पादों को शुल्क वस्तु नंबर 38.08 के तहत वर्गीकृत किया - न्यायाधिकरा द्वारा यथावत रखा गया - अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया : चूँकि उत्पादों में चिकित्सीय गुण और रोगनिरोधी उपयोग हैं, वे अध्याय 30 के तहत परिभाषित औषधि हैं - उत्पाद शुल्क वस्तु संख्या 3003.10 के तहत वर्गीकृत किए जायेंगे।

शब्द और वाक्यांश:

'रोगनिरोधी '-केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1985 के संदर्भ में अर्थ,

इन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उठा था, वह यह था कि क्या उत्पाद हेक्सीप्रेप, हेक्सिस्क्रब (सर्जिस्क्रब) और हैक्सियाक को शुल्क वस्तु संख्या 38.08 के तहत वर्गीकृत किया जायेगा, जैसा कि राजस्व द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है और जिसे न्यायाधिकरण (सी. ई. जी. ए. टी.) द्वारा यथावत रखा गया है या केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के शुल्क वस्तु संख्या 3003.10 के तहत, जैसा कि निर्धारिती ने तर्क दिया है।

अपीलों को स्वीकार करते हुये, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया :

तीनों उत्पादों के लेबल उन्हें "बेहतर सर्जिकल माइक्रोबिसाइडल समाधान" के रूप में वर्णित करते हैं। सर्जरी से पहले त्वचा को कीटाणुरहित करने के लिये आवश्यकतानुसार त्वचा को रंगने के लिये हेक्सीप्रेप का उपयोग किया जाता है। यह सर्जरी से पहले त्वरित त्वचा कीटाणुशोधन के लिये है। सर्जरी से पहले त्वचा को रंगने के लिए और घाव कीटाणुनाशक के रूप में हेक्सियाक का उपयोग त्वचा कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसे क्लींजर के रूप में वर्णित किया गया है और इसका उपयोग घावों और खरोंचों और मामूली घावों की सफाई के लिए किया जाता है। हेक्सिस्क्रब सर्जरी से पहले तेजी हाथ कीटाणुशोधन के लिये सर्जनो के हाथ और अग्र-भुजाओं पर उपयोग के लिए है। इसलिए उत्पादों का रोगनिरोधी उपयोग होता है। यदि किसी उत्पाद में दो या दो से अधिक घटक शामिल हैं जिन्हे चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोग के लिए एक साथ मिलाया

जाता है, तो यह औषधि होगी। अपीलार्थियों के उत्पादों की रासायनिक परीक्षक द्वारा की गई, जिन्होंने राय दी कि इन उत्पादों में चिकित्सीय गुण हैं। इसलिए उत्पादों को शुल्क वस्तु नंबर 38.08 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है, लेकिन शुल्क वस्तु नंबर 3003.10 के तहत वर्गीकृत किया जायेगा। [411 - बी; 412-सी]

ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, 9 वें संस्करण – संदर्भित किया गया ।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं 4766-4768/1998

केंद्रीय उत्पाद शुल्क के 1.5.98 दिनांकित निर्णय और आदेश से,

एफ. ओ. सं. 320-22 / 98 –सी अंतर्गत ए. नंबर ई-770/1992-सी और ई/38-39 /1995-सी में सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के निर्णय एवं आदेश दिनांक 1/5/98 से।

वी. बालचंद्रन के लिए आलोक यादव; अपीलार्थी के लिए।

सोली जे. सोराबजी, भारत की महान्यायवादी सुश्री विभा मखीजा, बी. कृष्ण प्रसाद, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निर्णय एस. एन. वरियावा, न्यायाधिपति द्वारा दिया गया था।

ये अपीलें सीमा शुल्क और स्वर्ण (नियंत्रण) अपीलीय न्यायाधिकरण, नई दिल्ली (संक्षेप में सी. ई. जी. ए. टी.) के निर्णय दिनांक 1/5/98 के विरुद्ध हैं।

संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं

अपीलार्थी अन्य चीजों के अलावा, हेक्सिप्रेप, हेक्सिस्क्रब (सर्जिस्क्रब) और हैक्सियाक का निर्माण करते हैं। उन्होंने इन वस्तुओं को निम्न के अंतर्गत वर्गीकृत किया। शुल्क वस्तु 3003.10 और अधिसूचना संख्या 29/88-सी. ई. दिनांक 1 मार्च, 1988 के तहत शुल्क का भुगतान किया। उत्पाद को शुल्क वस्तु 38.08 के तहत क्यों वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए, इसका कारण बताने के लिए उन्हें आठ कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इसके बाद निर्णायक प्राधिकरण ने तब कारण दर्शाओ नोटिसों में प्रस्तावित वर्गीकरण को बरकरार रखा। अपीलार्थियों द्वारा सी. ई. जी. ए. टी. में दायर अपील को विवादित निर्णय द्वारा खारिज कर दिया गया है।

अपीलार्थियों के तीन उत्पादों की रासायनिक परीक्षक द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने राय दी कि उनमें क्लोरहेक्सडीन ग्लुकोनेट घोल बी. पी. था, जिसमें चिकित्सीय गुण थे। रासायनिक परीक्षक ने यह भी राय दी कि उनका उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता था और इस प्रकार शुल्क प्रविष्टि 38.08 द्वारा कवर किये गये थे।

तीनों उत्पादों के लेबल उन्हें "बेहतर माइक्रोबिसाइडल सॉल्यूशन" के रूप में वर्णित करते हैं। यह माना जाता है कि हेक्सिप्रेप का उपयोग शल्य चिकित्सा से पहले त्वचा को कीटाणुरहित करने के लिए त्वचा को रंगने के लिए किया जाता है। यह शल्य चिकित्सा से पहले तेजी से त्वचा कीटाणुशोधन के लिए है। हेक्सियाक का उपयोग शल्य चिकित्सा से पहले त्वचा को रंगने के लिए त्वचा कीटाणुनाशक के रूप में और घाव कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। इसे क्लींजर के रूप में वर्णित किया गया है और इसका उपयोग घावों और घर्षण और मामूली चोटों की सफाई के लिए किया जाता है। हेक्सिस्क्रब सर्जरी से पहले हाथों को तेजी से कीटाणुरहित करने के लिये सर्जनों के हाथों और अग्र-भुजाओं पर उपयोग के लिए है।

इस स्तर पर, दो शुल्क वस्तु निर्धारित किए जा सकते हैं। शुल्क वस्तु 3003.10 इस प्रकार पठनीय है:

"3003.10- पेटेंट या स्वामित्व वाली दवाएं उनके अलावा औषधियां जो विशेष रूप से आयुर्वेदिक, यूनानी दवाएँ, सिद्ध, होम्योपैथिक या बायोकेमिक हैं।"

शुल्क वस्तु संख्या 38.08 इस प्रकार पठनीय है:

"38.08- कीटनाशक, कृन्तकनाशक, कवकनाशक, शाकनाशी, अंकुरण रोधी उत्पाद और रपौधे विकास नियामक, कीटाणुनाशक और इसी तरह के उत्पाद।"

सीईजीएटी ने माना है कि अपीलकर्ताओं के उत्पाद कीटाणुनाशक हैं और इसलिए शुल्क वस्तु 38.08 के अंतर्गत आते हैं। तथापि, अध्याय 38 का अध्याय 1 (सी), जिसमें शुल्क वस्तु 38.08 आता है, इंगित करता है कि अध्याय "दवाओं" पर लागू नहीं होता है। अध्याय 2(1) से अध्याय 30 तक "दवाओं" को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

दवाएं का अर्थ है सामान (खाद्य पदार्थों या पेय पदार्थों के अलावा अन्य जैसे आहार संबंधी, मधुमेह या गरिष्ठ भोजन, टॉनिक पेय पदार्थ) शीर्षक संख्या 30.02 या 30.04 के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, जो कि या तो हैं-

(ए) दो या दो से अधिक घटकों वाले उत्पाद जो चिकित्सीय या रोगनिरोधी के लिए एक साथ मिश्रित या यौगिक किया गया है; या

(ख) ऐसे उपयोगों के लिए उपयुक्त बिना मिश्रित उत्पाद, खुदरा बिक्री के लिये या अस्पतालों में उपयोग के लिये मापी गई खुराक में या पैकिंग में रखे जाते हैं।

इस प्रकार, यदि किसी उत्पाद में दो या दो से अधिक घटक हैं जो चिकित्सीय या रोगनिरोधी उपयोग के लिए एक साथ मिलाया जाता है, तो यह एक दवा होगी। जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलार्थियों के उत्पादों की रासायनिक परीक्षक द्वारा जांच की गई थी, जिन्होंने राय दी है कि इन उत्पादों में चिकित्सीय गुण हैं। यह भी माना जाता है कि इन उत्पादों का उपयोग सर्जरी से पहले त्वचा को कीटाणुरहित करने के लिए किया जाता है। संक्षिप्त ऑक्सफोर्ड शब्दकोश, 9 वें संस्करण के अनुसार, यह शब्द "रोगनिरोधी" का अर्थ होगा "रोगों को रोकने का इरादा, एक निवारक दवा या कार्रवाई का क्रम"। यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं के उत्पादों का उपयोग घावों और घर्षण और मामूली चोटों की सफाई के लिए और शल्य चिकित्सा से पहले त्वचा को कीटाणुरहित करने के लिए एक सफाई करने वाले के रूप में किया जाता है। इसलिए उनके रोगनिरोधी उपयोग भी हैं। चूंकि उत्पादों में चिकित्सीय गुण और रोगनिरोधी उपयोग होते हैं, वे अध्याय 30 के तहत आने वाली दवाएं हैं। जैसा कि वे नोट 1 (सी) से अध्याय 38 के आधार पर अध्याय 30 के अंतर्गत आते हैं, वे अध्याय 38 के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसलिए यह मानना होगा कि उत्पादों को वस्तु शुल्क 38.08 के तहत वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, विवादित निर्णय को कायम नहीं रखा जा सकता है और

तदनुसार इसे अपास्त किया जाता है। यह माना जाता है कि अपीलकर्ताओं के उत्पाद वस्तु शुल्क 3003.10 के तहत वर्गीकृत किए जा सकते हैं।

तदनुसार अपीलों को स्वीकार किया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपीले स्वीकार की गईं।

एसकेएस.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।